



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092021-229904  
CG-DL-E-23092021-229904

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3620]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 23, 2021/आश्विन 1, 1943

No. 3620]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 23, 2021/ASVINA 1, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2021

सं. 31/2015-2020

विषय:- मर्करी की निर्यात नीति में संशोधन और नीतिगत शर्त को सम्मिलित करना।

का.आ. 3954(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा मर्करी के निर्यात से संबंधित आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति की अनुसूची-2 के अध्याय 28 के आईटीसी (एचएस) कोड 28054000 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

क्रम सं.	आईटीसी एचएस कोड	विवरण	संशोधित नीति	वर्तमान नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
115घ	28054000	मर्करी	प्रतिबंधित	—	“मर्करी के आयात/निर्यात के मामले में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) में मिनामाता कन्वेंशन के राष्ट्रीय फोकल प्वाइंट से मर्करी पर मिनामाता कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार एक पूर्व सूचित सहमति (पीआईसी) प्रक्रिया प्राप्त की जाए। पूर्व सूचित सहमति की प्रक्रिया के विवरण को पर्यावरण, वन

					और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट: <a href="http://moef.gov.in/(Divisions-&gt;Environment Divisions-&gt;Hazardous Substance Management Division-&gt;Import/Export)">http://moef.gov.in/(Divisions-&gt;Environment Divisions-&gt;Hazardous Substance Management Division-&gt;Import/Export)</a> पर देखा जा सकता है।”
--	--	--	--	--	--

## 2. इस अधिसूचना का प्रभाव:

मर्करी की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से 'मुक्त' से संशोधित कर 'प्रतिबंधित' किया गया है। निर्यात पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) से पूर्व सूचित सहमति (पीआईसी) प्राप्त करने के अधीन होगा।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/91/180/003/एम-22/ईसी/ई-29139]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार

एवं पदेन अपर सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2021

No. 31/2015-2020

**Subject : Amendment in Export Policy of Mercury and insertion of Policy Condition.**

**S.O. 3954(E).**—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes following amendment to ITC (HS) Code 28054000 of Chapter 28 of Schedule – 2 of ITC (HS) Export Policy related to export of Mercury:

S.No.	ITC HS Code	Description	Revised Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
115 D	28054000	Mercury	<b>Restricted</b>	--	A Prior Informed Consent (PIC) procedure as per the provisions of the Minamata Convention on mercury is to be obtained from the National Focal Point of Minamata Convention in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) in case of import/export of mercury. Details of PIC procedure can be accessed from the website of MoEF&CC: <a href="http://moef.gov.in/">http://moef.gov.in/</a> (Divisions -> Environment Divisions-> Hazardous Substance Management Division -> Import/Export).

**2. Effect of this Notification:**

Export Policy of Mercury has been amended from 'Free' to 'Restricted' with immediate effect. The export will be subject to obtaining Prior Informed Consent (PIC) from MoEF&CC.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/91/180/003/AM22/EC/E-29139]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade,  
& Ex-officio Secy.